*विदेश में संयुक्त उद्यमों और पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं में भारतीय निवेश : 2009-10 (अप्रैल-दिसंबर)**

विदेश में संयुक्त उद्यमों (जेवी) और पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) में भारतीय निवेश पर लेख भारत के भुगतान संतुलन सांख्यिकी की तिमाही विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान लेख में अक्तूबर-दिसंबर 2009 की तिमाही और अप्रैल-दिसंबर 2009 की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यमों (जेवी) और पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) में भारत के जावक विदेशी प्रत्येक्ष निवेश (एफडीआइ) की समीक्षा की गयी है।

I. भारत के जावक एफडीआइ प्रस्ताव[1]

I.1 परिमाण

अक्तूबर-दिसंबर 2009 की तिमाही के दौरान, 6.7 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के 939 प्रस्तावों को विदेश में जेवी और डब्ल्यूओएस में निवेशों के लिए मंजूरी दी गयी, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि में 7.4 बिलियन अमरीकी डालर के 828 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी थी (सारणी 1)। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, निवेश प्रस्तावों की संख्या में पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि प्रस्तावों की राशि में 9.1 प्रतिशत की गिरावट आयी। निवेश प्रस्तावों की राशि में इक्विटी 46.2 प्रतिशत थी इसके बाद गारंटियों (37.5 प्रतिशत) तथा ऋण (16.3 प्रतिशत) का स्थान था। 2008-09 की तदनुरूप तिमाही के दौरान, निवेश प्रस्तावों की राशि में इक्विटी 75.8 प्रतिशत थी, जबकि ऋणों और गारंटियों का हिस्सा क्रमशः 11.3 प्रतिशत और 12.9 प्रतिशत था। इस प्रकार 2009-10 की तीसरी तिमाही में निवेश

* आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार प्रभाग में तैयार किया गया। लेख का पिछला अंक रिजर्व बैंक बुलेटिन, जनवरी 2010 में प्रकाशित हुआ था।

[1] इस समीक्षा में उल्लिखित भारत का जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों, पंजीकृत साझेदारी फर्मों द्वारा संयुक्त उद्यमों और संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं में भारतीय विदेशी निवेश और तेल शोध के लिए हुए उत्पादन साझेदारी करारों के संबंध में किए गये विप्रेषणों को संदर्भित करता है।

सारणी 1: भारत का जावक एफडीआइ : अक्तूबर-दिसंबर के दौरान अनुमोदित प्रस्ताव

अवधि/अनुमोदन का मार्ग	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावों की राशि (मिलियन यूएस डालर)			
		इक्विटी	ऋण	गारंटी	कुल
1	2	3	4	5	6
2008-09					
अक्तूबर-दिसंबर 2008					
I. अनुमोदन मार्ग	1	1	–	–	1
II. स्वचालित मार्ग	827	5615	835	958	7408
कुल (I+II)	**828**	**5616**	**835**	**958**	**7409**
2009-10					
अक्तूबर-दिसंबर					
I. अनुमोदन मार्ग	1	न	–	–	न
II. स्वचालित मार्ग	938	3112	1096	2526	6735
कुल (I+II)	**939**	**3112**	**1096**	**2526**	**6735**

टिप्पणी: 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. न.: नगण्य

प्रस्तावों की कुल राशि में इक्टिी के हिस्से में गिरावट हुई, जबकि ऋण और गारंटी के हिस्से में वृद्धि हुई।

2009-10 की पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल-दिसंबर 2009) के दौरान, 14.3 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के 2,984 प्रस्तावों को विदेश में जेवी और डब्ल्यूओएस में निवेशों के लिए मंजूरी दी गयी, जबकि पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि में 16.4 बिलियन अमरीकी डालर के 2,828 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी थी (सारणी 2)। जबकि निवेश प्रस्तावों की संख्या में

सारणी 2 : भारत का जावक एफडीआइ : अप्रैल-दिसंबर के दौरान अनुमोदित प्रस्ताव

अवधि/अनुमोदन का मार्ग	प्रस्तावों की संख्या	प्रस्तावों की राशि (मिलियन यूएस डालर)			
		इक्विटी	ऋण	गारंटी	कुल
1	2	3	4	5	6
2008-09					
अप्रैल-दिसंबर 2008					
I. अनुमोदन मार्ग	3	39	–	–	39
II. स्वचालित मार्ग	2825	10949	3060	2304	16313
कुल (I+II)	**2828**	**10987**	**3060**	**2304**	**16352**
2009-10					
अप्रैल-दिसंबर 2009					
I. अनुमोदन मार्ग	2	Neg.	–	–	Neg.
II. स्वचालित मार्ग	2982	6980	3200	4080	14260
कुल (I+II)	**2984**	**6980**	**3200**	**4080**	**14260**

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. न.: नगण्य

पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, निवेश प्रस्तावों के परिमाण ने 12.8 प्रतिशत की गिरावट दर्शाई। निवेश प्रस्तावों में इक्विटी 49.0 प्रतिशत थी। इसके बाद गारंटियों (28.6 प्रतिशत) तथा ऋण (22.4 प्रतिशत) का स्थान था। पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि (अप्रैल-दिसंबर 2008) में निवेश प्रस्तावों में इक्विटी 67.2 प्रतिशत थी , जबकि ऋणों और गारंटियों का हिस्सा क्रमशः 18.7 और 14.1 प्रतिशत था। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में निवेश प्रस्तावों के वित्तपोषण में इक्विटी के हिस्से में हुई गिरावट और ऋण और गारंटियों दोनों में ही वृद्धि प्रतिबिंबित करता है।

मार्गवार अक्तूबर-दिसंबर 2009 के दौरान, मंजूर किए गए अधिकांश निवेश प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग से मंजूरी मिली और केवल एक प्रस्ताव अनुमोदन मार्ग[2] से था। पूर्ववर्ती वर्ष की इसी तिमाही के दौरान भी, निवेश के लगभग सभी प्रस्तावों को स्वचालित मार्ग से मंजूरी मिली और मात्र एक प्रस्ताव को अनुमोदन मार्ग से मंजूरी मिली। स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत, इक्विटी का हिस्सा अधिकतम (46.2 प्रतिशत) था, जबकि अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत सभी प्रस्ताव इक्विटी के ही अन्तर्गत थे। अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान, 99.9 प्रतिशत प्रस्ताव, जिनमें लगभग 100 प्रतिशत राशि शामिल है, स्व-चलित मार्ग से थे और बाकी 0.1 प्रतिशत प्रस्ताव, जिनमें थोड़ी राशि शामिल है, अनुमोदन मार्ग से थे। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत, निवेश प्रस्तावों में इक्विटी का हिस्सा 48.9 प्रतिशत था, जबकि अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत सभी प्रस्ताव इक्विटी के ही अन्तर्गत थे। अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान, 99.9 प्रतिशत प्रस्ताव, जिनमें लगभग 99.8 प्रतिशत राशि शामिल है, स्व-चालित मार्ग से थे और बाकी 0.1 प्रतिशत प्रस्ताव, जिनमें 0.2 प्रतिशत राशि शामिल है, अनुमोदन मार्ग से थे।

I.2 क्षेत्रीय स्वरूप और दिशा

I.2.1 क्षेत्रीय स्वरूप

अक्तूबर-दिसंबर 2009 तिमाही के दौरान, अनुमोदित जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की कुल राशि में 97.1 प्रतिशत राशि 5 मिलियन अमरीकी डॉलर और उससे अधिक के निवेशों से संबंधित थी। इन निवेश प्रस्तावों का क्षेत्र-वार वितरण यह दर्शाता है कि प्रस्तावों की 42 प्रतिशत राशि विनिर्माण से संबंधित थी और इसके बाद गैर-वित्तीय सेवाओं (9 प्रतिशत), व्यापार (4 प्रतिशत) का स्थान था तथा शेष राशि अन्य क्षेत्रों से संबंधित थी (सारणी 3)। पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के दौरान, अनुमोदित प्रस्तावों की राशि का 96 प्रतिशत 5 मिलियन अमरीकी डॉलर और उससे अधिक की राशि के निवेशों से संबंधित था, इसमें से 73 प्रतिशत राशि विनिर्माण में थी और इसके बाद गैर-वित्तीय सेवाओं (7 प्रतिशत), व्यापार (6 प्रतिशत), वित्तीय सेवाओं (1 प्रतिशत) का स्थान था तथा शेष राशि अन्य क्षेत्रों में लगी हुई थी। अक्तूबर-दिसंबर 2009 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र के भीतर प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, रसायन और उससे संबंधित उत्पाद, सीमेंट और सीमेंट उत्पाद, अलौह धातुएं, दूरसंचार उत्पाद, सॉफ्टवेयर पैकेज, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन, ओषधि, भेषज और खनन जैसे क्षेत्रों से संबंधित थे। व्यापार क्षेत्र के प्रस्ताव वस्त्र, रत्न और आभूषण, लकड़ी

[2] भारतीय नागरिकों को विदेशी संयुक्त उद्यमों और पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं में स्वचालित मार्ग और अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत निवेश करने की अनुमति है। स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत, सभी प्रस्ताव उद्दिष्ट प्राधिकृत डीलर बैंकों के माध्यम से ज्जाते हैं और इनके लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होता। जो प्रस्ताव स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत शर्तों के दायरे में नहीं आते, उनके लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है और वे अनुमोदन मार्ग के अन्तर्गत आते हैं।

तथा लकड़ी के उत्पाद में निवेश से संबंधित थे। वित्तीय सेवा क्षेत्र में निवेश प्रस्ताव ऐसी सेवाओं से संबंधित थे, जो शेयरों और प्रतिभूतियों से संबंधित हैं, जबकि जो निवेश प्रस्ताव गैर-वित्तीय सेवाओं से संबंधित थे उनमें जहाजरानी शामिल है। 'अन्य' की श्रेणी में परिवहन उपकरण, प्लास्टिक और प्लास्टिक उत्पाद, तेल शोध और चिकित्सा सेवा जैसी विविध गतिविधियाँ शामिल हैं। 2009-10 की तीसरी तिमाही में निवेश प्रस्तावों की प्रवृत्ति ने दर्शाया कि कुल राशि में विनिर्माण, ट्रेडिंग और, वित्तीय सेवाओं के हिस्से में कमी आयी है, जबकि गैर वित्तीय सेवाओं के हिस्से में बढ़ोतरी हुई है।

अप्रैल-दिसंबर 2009 के समग्र निवेश प्रस्तावों से यह इंगित होता है कि लगभग 94 प्रतिशत राशि 5 मिलियन अमरीकी डॉलर और उससे अधिक के निवेशों से संबंधित थी। क्षेत्र-वार, निवेश प्रस्तावों की 42 प्रतिशत राशि विनिर्माण से संबंधित थी और इसके बाद गैर-वित्तीय सेवाओं (9 प्रतिशत), व्यापार (5 प्रतिशत), वित्तीय सेवाओं (1 प्रतिशत) का स्थान था तथा शेष राशि ञ्अन्यट क्षेत्रों से संबंधित थी (सारणी 3 चार्ट 1)। अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान, प्रस्तावों की राशि का 57 प्रतिशत विनिर्माण से संबंधित था और इसके बाद गैर-वित्तीय सेवाओं (9 प्रतिशत), व्यापार (6 प्रतिशत), वित्तीय सेवाओं (1 प्रतिशत) का स्थान था तथा शेष राशि अन्य क्षेत्रों में लगी हुई थी। अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान, निवेश प्रस्तावों का स्वरूप यह दर्शाता है कि वित्तीय सेवाओं और गैर-वित्तीय सेवाओं ने प्रस्तावों की कुल राशि में अपना हिस्सा बनाए रखा, जबकि व्यापार और विनिर्माण के हिस्से में कमी आई।

I.2.2 दिशा (प्राप्तकर्ता देश)

निवेश प्रस्तावों की दिशा यह इंगित करती है कि अक्तूबर-दिसंबर 2009 के दौरान जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (5 मिलियन अमरीकी डॉलर और उससे अधिक) के प्रस्तावों में सिंगापुर, सूडान, मारीशस और अमरीका का एकत्रित हिस्सा 72 प्रतिशत था (सारणी 4)। पूर्ववर्ती वर्ष की इसी तिमाही के दौरान, प्रस्तावों की राशि में नीदरलैंड्स, यूके, सिंगापुर और मॉरिशस का एकत्रित हिस्सा 83 प्रतिशत था। इस प्रकार, सिंगापुर और मारीशस, भारत के जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रमुख गंतव्य देश बने रहे। अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान, जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (5 मिलियन अमरीकी डॉलर और उससे अधिक) के प्रस्तावों की राशि में सिंगापुर,

सारणी 3: भारत की जावक एफडीआई का क्षेत्रवार वितरण (अनुमोदित प्रस्ताव)

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

क्षेत्र	2008-09		2009-10	
	अक्तूबर-दिसंबर	अप्रैल-दिसंबर	अक्तूबर-दिसंबर	अप्रैल-दिसंबर
1	2	3	4	5
ट्रेडिंग	408	993	236	658
विनिर्माण	5165	8750	2720	5693
वित्तीय सेवाएं	88	205	30	84
गैर वित्तीय सेवाएं	481	1393	598	1270
अन्य	969	4117	2958	5699
कुल	**7110**	**15458**	**6542**	**13402**

टिप्पणी: आंकड़ें 5 मिलियल अमरीकी डॉलर अथवा उससे अधिक के निवेश के हैं।

चार्ट 1 : भारत के जावक एफडीआइ का वितरण (अनुमोदित प्रस्ताव)

चार्ट 1 (क) : अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान भारत के जावक एफडीआइ का वितरण (प्रतिशत हिस्सा)

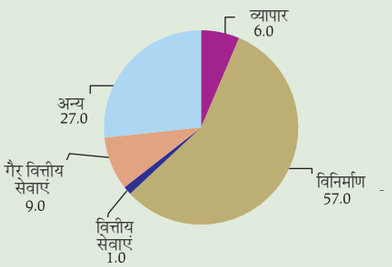

चार्ट 1 (ख): अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान भारत के जावक एफडीआइ का वितरण (प्रतिशत हिस्सा)

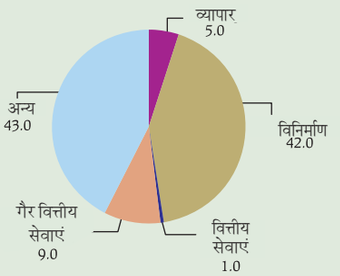

मारीशस, यूएस, ब्रिटिश वार्जिन आइलैण्ड, नीदरलैंड का एकत्रित हिस्सा 71 प्रतिशत का था (सारणी 4 चार्ट 2)। इसके विपरीत पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के दौरान नीदरलैंड, सिंगापुर, ब्रिटेन यूएस तथा मारीशस, के प्रस्तावों का हिस्सा 77 प्रतिशत था। अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान, भारत के जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सिंगापुर, सूडान, मारीशस, ब्रिटिश वार्जिन आइलैण्ड और संयुक्त अरब अमीरात के हिस्से में वृद्धि हुई जबकि यूएस, नीदरलैंड और ब्रिटेन के हिस्से में गिरावट आ गई।

सारणी 4: भारत के जावक एफडीआइ की दिशा (अनुमोदित प्रस्ताव)

(मिलियन अमरीकी डालर)

देश	2008-09		2009-10	
	अक्तूबर-दिसंबर	अप्रैल-दिसंबर	अक्तूबर-दिसंबर	अप्रैल-दिसंबर
1	2	3	4	5
सिंगापुर	1246	2954	3002	5162
सूडान	8	35	730	730
मॉरिशस	733	1624	564	1623
यूएसए	288	2063	460	1231
ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स	16	98	447	901
चैनल आइलैंड	-	-	301	458
संयुक्त अरब अमीरात	285	746	250	746
नीदरलैंड	2298	3230	250	797
ब्रिटेन	1765	2266	130	294
आस्ट्रेलिया	85	134	82	89
अन्य	524	2519	385	1747
कुल	**7250**	**15670**	**6601**	**13778**

टिप्पणी : 1. आंकड़े 5 मिलियन अमरीकी डालर और अधिक के निवेश से संबंधित हैं।

2. इस सारणी में दिए गए योग और सारणी 3 के योग में अंतर हो सकता है क्योंकि 5 मिलियन अमरीकी डालर और अधिक की अलग-अलग राशि से संबंधित कुछ देश-वार प्रस्तावों में एक से अधिक क्षेत्र शामिल हो सकता है या उसके विपरीत स्थिति हो सकती है ।

चार्ट 2 : भारत के जावक एफडीआइ की दिशा (अनुमोदित प्रस्ताव)

चार्ट 2 (क) : अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान भारत के जावक एफडीआइ की दिशा (प्रतिशत हिस्सा)

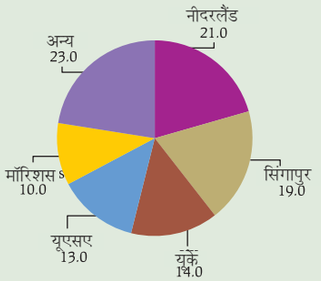

चार्ट 2 (ख): अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान भारत के जावक एफडीआइ की दिशा (प्रतिशत हिस्सा)

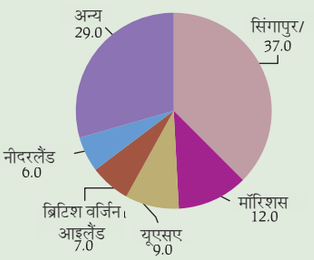

II. भारत का जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश : वास्तविक बहिर्वाह [3]

II.1 बहिर्वाह का परिमाण

अक्तूबर-दिसंबर 2009 तिमाही के दौरान, जेवी और डब्ल्यूओएस में वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.7 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो पूर्ववर्ती वर्ष की इसी तिमाही के 5.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 54.8 प्रतिशत कम था (सारणी 5)। इक्विटी और ऋण के अन्तर्गत बहिर्वाह में क्रमशः 57.3 और 44.8 प्रतिशत की गिरावट आई। निवेश की कुल राशि में 76 प्रतिशत इक्विटी के रूप में थी और लगभग समस्त बकाया राशि ऋणों के रूप में थी जबकि थोड़ी राशि गारंटियों को लागू किए जाने के कारण थी। अक्तूबर-दिसंबर 2008 के दौरान, बहिर्वाह की राशियों का 80 प्रतिशत हिस्सा इक्विटी के रूप में था और शेष ऋणों के रूप में, जबकि इस अवधि में कोई गारंटी लागू नहीं हुई। इस प्रकार, समीक्षाधीन तिमाही के दौरान, वास्तविक जावक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में इक्विटी का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से गिर गया। फिर भी, निवेश प्रस्तावों के वित्तपोषण में इक्विटी एक प्रमुख जरिया बनी रही। इसके अलावा, अक्तूबर-दिसंबर 2009 के दौरान, 'अनुमोदित निवेश प्रस्तावों' के प्रति 'वास्तविक निवेश बहिर्वाह' का अनुपात एक वर्ष पहले के 79 प्रतिशत से घटकर 39 प्रतिशत हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान, संयुक्त उद्यमों और पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी में वास्तविक जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 8.4 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के 12.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की तुलना में 34.1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है (सारणी 5)। निवेश की कुल राशि में 70 प्रतिशत इक्विटी के रूप में था और शेष में से अधिकांश राशि ऋण के रूप में थी जबकि एक छोटी राशि लागू की गई गारंटियों के रूप में थी। इसके विपरीत, अप्रैल-दिसंबर 2008 के दौरान निवेश की 80 प्रतिशत

[3] भारतीय कंपनियों द्वारा जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वित्तपोषण मोटे तौर पर इक्विटी, ऋण और गारंटियों के रूप में होता है। इनमें भारत में विदेशी मुद्रा आहरण, निर्यातों का पूंजीकरण, बाह्य वाणिज्यिक उधारों, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों और एडीआर / जीडीआर के साथ ही विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) के गठन से लीवरेज्ड बाइआउट के माध्यम से ज्जुटाई गई निधियों जैसे स्रोत शामिल होते हैं। इस समीक्षा में प्रस्तुत इक्विटी आंकड़ों में व्यक्तियों और बैंकों की इक्विटी तथा विदेशी निवेश के निधीयन केलिए स्थापित विशेष प्रयोजन माध्यम शामिल नहीं हैं, जबकि भुगतान संतुलन के आंकड़ों में अतिरिक्त रूप से बैंकों (विदेश में परिचालन कर रही अनिगमित बैंकों की शाखाओं) की इक्विटी शामिल है।

सारणी : भारत का जावक एफडीआइ - वास्तविक बहिर्वाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

अवधि	इक्विटी	ऋण	लागू गारंटी	कुल
1	2	3	4	5
2008-09				
अक्तूबर-दिसंबर 2008	4706	1157	–	5863
अप्रैल-दिसंबर 2008	10144	2598	–	12742
2009-10				
अक्तूबर-दिसंबर 2009	2010	639	2	2650
अप्रैल-दिसंबर 2009	5890	2484	24	8398

टिप्पणी: आंकड़े अनंतिम हैं।

राशि इक्विटी के रूप में और बाकी की 20 प्रतिशत ऋण के रूप में थी, जबकि इस अवधि में कोई गारंटी लागू नहीं की गई। इस प्रकार, अप्रैल-दिसंबर 2009 के दौरान, जावक निवेश में 41.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्शाते हुए इक्विटी के हिस्से में कमी आ गई।

अनुबंध 1 :
भारत का विदेशी निवेश - 2000 से उदारीकरण संबंधी प्रमुख उपाय

वर्ष 2000 में फेमा की शुरु आत से नीति में उल्लेखनीय रूप में उदारीकरण हुआ। निवेश के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा, जो पहले तीन वर्षों के प्रखंड में उपलब्ध थी, को किसी लाभप्रदता शर्त के बिना वार्षिक स्तर पर उपलब्ध करायी गयी। कंपनियों को विदेशी कंपनियों के अभिग्रहण तथा जेवी और डब्ल्यूओएस में प्रत्यक्ष निवेश के लिए अपने एडीआर/जीडीआर निर्गमों की प्राप्त राशियों का 100 निवेश करने की अनुमति दी गयी।

स्वचालित मार्ग को मार्च 2002 में और अधिक उदार कर दिया गया और भारत के बाहर जेवी /डब्ल्यूओएस में निवेश करने वाले भारतीय पक्षकारों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 मिलियन डालर राशि का निवेश करने की अनुमति दी गयी, जबकि पहले यह सीमा 50 मिलियन अमरीकी डॉलर थी। साथ ही, स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत निवेशों का निधीयन प्राधिकृत डीलर (एडी) से विदेशी मुद्रा आहरित कर किया जा सकता है जो भारतीय पक्षकार के निवल मालियत के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

भारतीय कंपनियों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सुविधा देकर वैश्विक संस्था बनने में सक्षम बनाने के लिए, फरवरी 2004 में बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) के लिए अनुमति प्राप्त अंतिम-उपयोग के दायरे को विस्तृत किया गया ताकि उसमें जेवी / डब्ल्यूओएस में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल हो सके। इसकी संरचना इस प्रकार की गयी ताकि कंपनियां नये निवेश कर सकें या वर्तमान जेवी / डब्ल्यूओएस का विस्तार कर सकें, जिसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधान जुटाकर विदेशी विलयन और अभिग्रहण भी शामिल हो।

विदेश में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने और भारतीय कंपनियों को वैश्वीकरण का लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए, भारतीय कंपनियों के निवेश की अधिकतम सीमा को विदेशी निवेश के स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत निवेशक कंपनी की निवल मालियत के 100 प्रतिशत से बढ़ाकर निवल मालियत का 200 प्रतिशत कर दिया गया। स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत भारतीय पक्षकार की निवल मालियत के 200 प्रतिशत की सीमा को जून 2007 में बढ़ाकर निवल मालियत का 300 प्रतिशत (पंजीकृत साझेदारी फर्मों के मामले में 200 प्रतिशत) कर दिया गया। सितम्बर 2007 में इसे पुनः बढ़ाकर भारतीय पक्षकार की निवल मालियत का 400 प्रतिशत कर दिया गया।

प्रक्रिया के सरलीकरण के रूप में अब यदि किसी भारतीय पक्षकार ने विदेशी प्रतिभूति अधिगृहीत की है तो विदेशी संस्था में निवेश के प्रमाण के रूप में उसके शेयर सर्टिफिकेटों या किसी अन्य प्रलेख को रिजर्व बैंक को प्रस्तुत नहीं करना होगा। शेयर सर्टिफिकेटों या, जहाँ शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं होते वहाँ, निवेश के प्रमाण के रूप में किसी अन्य प्रलेख को नामोद्दिष्ट एडी श्रेणी-1 बैंक को प्रस्तुत करना होगा और उसके द्वारा उसे धारित किया जाना होगा। ऐसे बैंक को ऐसे प्रलेखों की प्राप्ति पर निगरानी रखनी होगी ताकि इस प्रकार प्राप्त हुए प्रलेखों की वास्तविकता सुनिश्चित की जा सके।

सेबी के पास पंजीकृत भारतीय जोखिम पूंजी निधियों (वीसीएफ) को अपतटीय जोखिम पूंजी उपक्रमों की इक्विटी और इक्विटी सम्बद्ध लिखतों में निवेश करने की अनुमति है, बशर्ते उसकी अधिकतम सीमा 500 मिलियन अमरीकी डॉलर हो और वह सेबी द्वारा इस संबंध में जारी किये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हो।

निवासी व्यक्तियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) को सितम्बर 2007 में और उदार बनाया गया और प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) की 100,000 अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर प्रति वित्तीय वर्ष 200,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया।

सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के पोर्टफोलियो निवेश की सीमा को सितम्बर 2007 में पिछले लेखा-परीक्षित तुलनपत्र की तारीख के अनुसार निवेशक कंपनी की निवल मालियत के 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा बदले में भारतीय कंपनियों में 10 प्रतिशत

(जारी)

अनुबंध 1 :
भारत का विदेशी निवेश - 2000 से उदारीकरण संबंधी प्रमुख उपाय *(समाप्त)*

की पारस्परिक शेयरधारिता की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है।

सेबी के यहाँ पंजीकृत म्यूच्युअल फंडों द्वारा विदेशी निवेश की 4 बिलियन अमरीकी डॉलर की समग्र सीमा को सितम्बर 2007 में बढ़ाकर 5 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया। उसे अप्रैल 2008 में पुनः बढ़ाकर 7 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया। सेबी द्वारा सीमित संख्या में योग्य भारतीय म्यूच्युअल फंडों को विदेशी एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में संचयी रूप से 1 बिलियन अमरीकी डॉलर तक निवेश करने की जो वर्तमान सुविधा दी गयी है, वह जारी रहेगी। ये निवेश सेबी द्वारा जारी शर्तों और निबंधनों और परिचालनगत दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

विनिर्माण/शिक्षा क्षेत्र में लगे हुए पंजीकृत न्यासों और सोसाइटियों को जून 2008 में रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ भारत के बाहर उन्हीं क्षेत्रों में संयुक्त उद्यमों या संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्थाओं में निवेश करने की अनुमति दी गयी है।

भारत में अस्पताल स्थापित करनेवाले पंजीकृत न्यासों और सोसाइटियों को अगस्त 2008 में रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ भारत के बाहर उन्हीं क्षेत्र (क्षेत्रों) में जेवी /डब्ल्यूओएस में निवेश करने की अनुमति दी गयी है।